भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

भारिबैं./विवि/2025-26/367
विवि.एफआईएन.आर.ई.सी.सं.297/03-10-119/2025-26 28 नवंबर, 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (कोर निवेश कंपनियां) निदेश, 2025

विषय-सूची

अध्याय- I – प्रारंभिक 2

अध्याय- II – निदेशक मंडल की भूमिका और पंजीकरण आवश्यकताएं 11

अध्याय- III – पूंजी आवश्यकताएं 14

अध्याय-IV – विवेकपूर्ण विनियमन 18

अध्याय-V – शेयरधारिता और कॉर्पोरेट अभिशासन 22

अध्याय-VI – कॉर्पोरेट अभिशासन और प्रकटीकरण आवश्यकताएं 23

अध्याय-VII – जोखिम प्रबंधन .... .26

अध्याय-VIII - विदेशी निवेश 28

अध्याय- IX – विविध अनुदेश 29

अध्याय- X – रिपोर्टिंग आवश्यकताएं 31

अध्याय-XI – निरसन और अन्य प्रावधान 32

अनुबंध- I- अतिरिक्त प्रकटीकरण आवश्यकताएं 33

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का अधिनियम 2) की धारा 45जेए, 45एल और 45एम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इस संबंध में इसे सक्षम करने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक समझा है और इस बात से संतुष्ट होकर कि राष्ट्र के हित के लिए वित्तीय प्रणाली को विनियमित करने और किसीकोर निवेश कंपनी (सीआईसी) के मामलों को निवेशकों के हित के लिए हानिकारक या ऐसे सीआईसी के हित के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण तरीके से संचालित होने से रोकने के उद्देश्य से, इसके प्रत्येक सीआईसी द्वारा अनुपालन के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक (कोर निवेश कंपनियां) निदेशों , 2025' (जिसे इसके बाद 'निदेशों' किया गया है) जारी करता है।

अध्याय-I – प्रारंभिक

क. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. इन निदेशों को 'भारतीय रिज़र्व बैंक (कोर निवेश कंपनियां) निदेश, 2025' कहा जाएगा।
2. ये निदेश उस दिन से प्रभावी होंगे जिस दिन इन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

ख. प्रयोज्यता

3. ये निदेश प्रत्येक कोर निवेश कंपनी (जिसे इसके बाद सामूहिक रूप से 'सीआईसीस' और व्यक्तिगत रूप से 'सीआईसी' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) पर लागू होंगे, अर्थात, एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो शेयर और प्रतिभूतियों के अधिग्रहण का व्यवसाय करती है और जो अंतिम लेखा-परीक्षित तुलन पत्र की तारीख को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है:

   (1) इसकी निवल आस्तियों का कम से कम 90 प्रतिशत समूह कंपनियों में इक्विटी शेयर, अधिमानी शेयर, बॉंड, डिबेंचर, कर्ज या ऋण के रूप में निवेश के रूप में हो;

   (2) समूह कंपनियों की इक्विटी शेयरों में (जिनमें वे साधन भी शामिल हैं जो जारी होने की तारीख से 10 वर्ष की अवधि स के भीतर अनिवार्य रूप से इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय हैं) और केवल प्रायोजक के रूप में अवसंरचना निवेश न्यास (इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट) की इकाइयों में इनका निवेश, इनकी निवल आस्तियों का कम से कम 60 प्रतिशत हो, जैसा कि नीचे पैराग्राफ 8(17) में उल्लेखित है;

   (3) बशर्ते कि ऐसे सीआईसी का अवसंरचना निवेश न्यास की ओर एक्सपोजर केवल उनके प्रायोजक के रूप में धारिता तक सीमित हो और किसी भी समय सेबी (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियमावली, 2014, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, द्वारा इस संबंध में निर्धारित न्यूनतम इकाई धारिता और अवधि से

अधिक न हो। ये समूह कंपनियों में शेयर, बॉंड, डिबेंचर, ऋण या ऋण में अपने निवेश का व्यापार नहीं करता है, सिवाय अवमिश्रण (डाइल्यूशन) या विनिवेश के उद्देश्य से एकमुश्त बिक्री के माध्यम से;

(4) यह भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45आई(सी) और 45आई(एफ) में उल्लिखित किसी अन्य वित्तीय गतिविधि को नहीं करती है, सिवाय:

(i) निवेश:

(क) बैंक जमा में,

(ख) मुद्रा बाज़ार के लिखत में, जिनमें मुद्रा बाज़ार म्यूचुअल फंड शामिल हैं जो 1 वर्ष तक की परिपक्वता वाले ऋण/मुद्रा बाज़ार लिखतों में निवेश करते हैं,

(ग) सरकारी प्रतिभूतियों में, और

(घ) समूह कंपनियों द्वारा जारी किए गए बॉंड या डिबेंचर में,

(ii) समूह कंपनियों को ऋण प्रदान करना, और

(iii) समूह कंपनियों की ओर से गारंटी जारी करना।

नोट:

(1) सीआईसी की निवल आस्तियों का 10 प्रतिशत में स्थावर संपदा या अन्य अचल आस्तियां शामिल होंगी जो इसके प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक हैं, लेकिन इसमें गैर-समूह कंपनियों में अन्य वित्तीय निवेश/ऋण शामिल नहीं होंगे।

(2) निवल आस्तियों के 90 प्रतिशत की गणना के लिए सीआईसी के तुलन पत्र में दिखाई देने वाले समूह कंपनियों में सभी प्रत्यक्ष निवेशों को ध्यान में रखा जाएगा। इस उद्देश्य के लिए सहायक कंपनियों द्वारा उप अनुषंगी(स्टेप-डाउन) सहायक कंपनियों या अन्य संस्थाओं में किए गए निवेशों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

(3) मास्टर निदेश के संदर्भ में, एकमुश्त(ब्लॉक) बिक्री विनिवेश या निवेश के उद्देश्य से की गई दीर्घकालिक या रणनीतिक बिक्री होगी, न कि अल्पकालिक व्यापार के लिए।

(4) सीआईसी के लिए समूह कंपनियों के साथ व्यापार करना या उन्हें सेवाएं प्रदान करना जैसी गतिविधियां प्रतिबंधित नहीं हैं, बशर्ते ऐसी गतिविधियां पूर्णतः गैर-वित्तीय गतिविधि के स्वरूप में की जाएं और वे सीआईसी को समूह के भीतर या समूह संस्थाओं की ओर से मौजूदा निर्देशों के तहत अनुमति नहीं प्राप्त किसी अन्य वित्तीय गतिविधि को करने के लिए प्रेरित न करें। ऐसी गतिविधियों के परिणामस्वरूप अंततः ऐसी कोई वित्तीय संपत्ति नहीं बननी चाहिए जिसे CICs को समूह के भीतर या बाहर रखने की अनुमति नहीं है। इसके अतिरिक्त, सीआईसी पण्य व्युत्पन्नी (कमोडिटी डेरिवेटिव) अनुबंधों में प्रवेश नहीं कर सकते हैं या स्थावर संपदा या अन्य अचल आस्तियों के अलावा कोई भी गैर-वित्तीय संपत्ति नहीं रख सकते

हैं जो सीआईसी के प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक हैं समूह के बाहर निवल आस्तियों की 10 प्रतिशत सीमा के भीतर।

4. ये निदेश उस सीआईसी पर लागू नहीं होंगे जो इन निदेशों के पैरा 16 और 17 में परिभाषित 'अपंजीकृत सीआईसी' है।
5. भारतीय रिज़र्व बैंक, यदि किसी CIC को होने वाली परेशानी से बचाने या किसी अन्य उचित और पर्याप्त कारण से ऐसा करना आवश्यक समझता है, तो किसी भी सीआईसी को इन निदेशों के सभी या किसी भी प्रावधान का अनुपालन करने के लिए सामान्य रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समय विस्तार प्रदान कर सकता है या छूट दे सकता है, जो ऐसी शर्तों के अधीन होगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक लागू कर सकता है।
6. ये निदेश विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विनियमों को समेकित करते हैं। हालांकि, बैंक के किसी अन्य विभाग द्वारा जारी किए गए ऐसे किसी अन्य निदेश/दिशानिर्देश, जो सीआईसी पर लागू होते हैं, उनका अनुपालन प्रत्येक सीआईसी द्वारा किया जाएगा।

ग. अन्य निदेशों की प्रयोज्यता

7. निम्नलिखित निदेशों में निहित प्रावधान, जहां भी इन निदेशों की सामग्री के विरोधाभासी नहीं हैं, कोर निवेश कंपनियों पर भी लागू होंगे, उस स्तर(लेयर) के आधार पर जिसमें इन्हे वर्गीकृत किया गया है:

(1) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए रूपरेखा) निदेश, 2025।

(2) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - शाखा प्राधिकरण) निदेश, 2025 के पैराग्राफ 13 से 15।

(3) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – वित्तीय सेवाओं उपक्रम) निदेश, 2025 के पैराग्राफ 7 से 14, 20 से 22 और 34 से 39।

(4) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – शेयरधारिता या नियंत्रण का अधिग्रहण) निदेश, 2025, सिवाय पैराग्राफ 6(3) और 6(4) के।

(5) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - अभिशासन) निदेश।

(6) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 के पैराग्राफ 15, 16 और 54।

(7) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) निदेश, 2025।

नोट: पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया जाता है कि यदि इन निदेशों और उपरोक्त निदेशों के बीच कोई विरोधाभास होता है, तो इन निदेशों में निहित अनुदेश लागू होंगे।

(8) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025 के पैराग्राफ 105, 106 और 107।

(9) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – इरादतन चूककर्ता और बड़े चूककर्ता का निर्वाहन) निदेश, 2025।

(10) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – निवेश संविभाग का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन) निदेश, 2025।

(11) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – आस्ति देयता प्रबंधन) निदेश, 2025, सिवाय अध्याय III में निहित प्रावधानों के।

(12) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2025।

(13) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश, 2025।

नोट: पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया जाता है कि यदि इन निदेशों और उपरोक्त निदेशों के बीच कोई विरोधाभास होता है, तो इन निदेशों में निहित अनुदेश लागू होंगे।

(14) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – लाभांश की घोषणा पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025।

(15) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – साख सूचना रिपोर्टिंग) निदेश, 2025।

(16) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – अपने ग्राहक को जानिए) निदेश, 2025।

(17) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां- स्वैच्छिक विलय) निदेश, 2025।

(18) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – विविध) निदेश, 2025 के पैराग्राफ 6, 7, 9 से 20, और 25 से 27।

8.उपरोक्त के बावजूद, इन निदेशों में निहित अनुदेश एनबीएफसी-सीआईसी पर लागू होंगे, जो कि उपरोक्त पैराग्राफ 7 में उल्लिखित निदेशों में निहित अन्य प्रासंगिक अनुदेशों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके स्थान पर।

9. सीआईसी समय-समय पर संशोधित 'परिचालनगत जोखिम प्रबंधन और परिचालनगत आघात-सहनीयता पर मार्गदर्शन नोट' का उपयोग कर सकता है।

घ. एनबीएफसी के लिए मान(स्केल) आधारित विनियमन के तहत विनियामक संरचना

10. सीआईसी को भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए रूपरेखा) निदेश, 2025 में निर्दिष्ट मान(स्केल) आधारित विनियामक ढांचे के मापदंडों के आधार पर मध्य स्तर (लेयर) या ऊपरी स्तर(लेयर) [और आधार स्तर(बेस लेयर) में नहीं] में शामिल किया जाएगा।

ङ. परिभाषाएं

11. इन निदेशों के उद्देश्य के लिए, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यहां प्रयुक्त पदों के वे ही अर्थ होंगे जो उन्हें नीचे दिए गए हैं:

(1) "समायोजित निवल मालियत (एएनडब्ल्यू)" का अर्थ है –

(i) पैराग्राफ वित्तीय वर्ष के अंत में अंतिम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र में दर्शाए गए, नीचे उप-पैराग्राफग्राफ (21) में परिभाषित स्वामित्व निधियों का कुल योग।

(ii) : इसमें निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:-

(क) वित्तीय वर्ष के अंत में अंतिम लेखा-परीक्षित तुलनपत्र की तारीख को उद्धृत निवेशों के बही मूल्य में अप्राप्त मूल्यवृद्धि का 50 प्रतिशत (ऐसी मूल्यवृद्धि की गणना ऐसे निवेशों के कुल बाजार मूल्य और ऐसे निवेशों के बही मूल्य के अंतर के रूप में की जाएगी है); और

(ख) अंतिम लेखा-परीक्षित तुलनपत्र की तारीख के बाद से इक्विटी शेयर पूंजी में हुई वृद्धि, यदि कोई हो।

(iii) इसमें निम्नलिखित घटाया जाएगा:-

(क) एक CIC द्वारा दूसरे CIC में किए गए किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पूंजी अंशदान को दर्शाने वाली राशि, उस सीमा तक जिस तक ऐसी राशि निवेश करने वाले CIC की स्वामित्व निधियों के दस प्रतिशत से अधिक हो;

(ख) उद्धृत निवेशों के कुल बही मूल्य में हुई कमी की राशि (ऐसी कमी की गणना ऐसे निवेशों के बही मूल्य और ऐसे निवेशों के कुल बाजार मूल्य के बीच के अधिशेष के रूप में की जाएगी), और;

(ग) अंतिम लेखा-परीक्षित तुलनपत्र की तारीख के बाद से इक्विटी शेयर पूंजी में हुई कमी, यदि कोई हो।

(2) "विश्लेषित मूल्य (ब्रेकअप वैल्यू)" का अर्थ है इक्विटी पूंजी और रिज़र्व, जिनमें से अमूर्त संपत्ति और पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व को घटाया गया है, जिसे निवेशित कंपनी के इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित किया गया है।

(3) "रखाव लागत (कैरिंग कॉस्ट)" का अर्थ है आस्तियों का बही मूल्य और उस पर अर्जित ब्याज जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(4) "समूह में कंपनियां" का अर्थ है दो या दो से अधिक संस्थाओं की एक व्यवस्था जो एक-दूसरे से निम्नलिखित संबंधों में से किसी एक के माध्यम से संबंधित हैं, अर्थात सहायक कंपनी – मूल कंपनी (एएस 21 के संदर्भ में परिभाषित), संयुक्त उद्यम (एएस 27 के संदर्भ में परिभाषित), सहयोगी कंपनी (एएस 23 के संदर्भ में परिभाषित), प्रवर्तक-प्रवर्तित [सूचीबद्ध कंपनियों के लिए सेबी (शेयरों का अधिग्रहण और नियंत्रण) विनियम, 1997 में प्रदत्त], संबंधित पक्ष (एएस 18 के संदर्भ में परिभाषित), सामान्य ब्रांड नाम, और 20 प्रतिशत और उससे अधिक इक्विटी शेयरों में निवेश।

(5) "व्यवसाय संचालन विनियमन" का अर्थ है उचित व्यवहार संहिता और अपने ग्राहक को जानिए (केवायसी) निदेशनिर्देशों पर रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेश।

(6) "नियंत्रण" का वही अर्थ होगा जो इसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का महत्वपूर्ण अधिग्रहण और नियंत्रण) विनियम, 2011 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (e) के तहत इसे दिया गया है।

(7) " कोर निवेश कंपनी (सीआईसी)" का अर्थ है एक कोर निवेश कंपनी जिसकी कुल आस्तियां या तो अकेले या समूह में अन्य सीआईसी के साथ मिलकर कम से कम 100 करोड़ रुपये हैं और जो सार्वजनिक निधि जुटाती है या धारण करती है।

(8) "चालू निवेश" का अर्थ है एक ऐसा निवेश जो अपनी प्रकृति द्वारा आसानी से वसूल किए जाने योग्य है और जिसका उद्देश्य निवेश किए जाने की तारीख से एक वर्ष से अधिक के लिए इसे धारण करना नहीं है।

(9) "ग्राहक इंटरफेस" का अर्थ है अपने व्यवसाय को संचालित करते समय सीआईसी और उसके ग्राहकों के बीच की बातचीत।

(10) "अर्जित मूल्य" का अर्थ है एक इक्विटी शेयर का वह मूल्य जो तत्काल पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए कर के बाद के लाभों की औसत गणना करके प्राप्त किया गया है, जिसमे से प्राथमिकता लाभांश घटाया गया है औरअसाधारण और गैर-आवर्ती मदों के लिए समायोजित किया गया है, और इसे निवेशित कंपनी के इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित किया गया है और निम्नलिखित दर पर पूंजीगत किया गया है:

(i) यदि मुख्यतः विनिर्माण कंपनी है, तो आठ प्रतिशत; (ii) यदि मुख्यतः ट्रेडिंग कंपनी है, तो 10 प्रतिशत; और

(iii) यदि कोई अन्य कंपनी है, जिसमें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी शामिल है, तो 12 प्रतिशत।
नोट: यदि कोई निवेशित कंपनी घाटे में चल रही कंपनी है, तो अर्जित मूल्य शून्य लिया जाएगा।

(11) "उचित मूल्य" का अर्थ है अर्जित मूल्य और विश्लेषित मूल्य का माध्य (औसत) है।

(12) "संकर कर्ज" का अर्थ है पूंजी साधन जिसमें इक्विटी और ऋण दोनों की कुछ विशेषताएं होती हैं।

(13) "निवेश" का अर्थ है सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए शेयर, स्टॉक, बॉंड, डिबेंचर या प्रतिभूतियों में निवेश, या इसी प्रकृति की अन्य विपणन योग्य प्रतिभूतियां।

(14) "अवसंरचना निवेश न्यास" का अर्थ है सेबी (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014 के तहत पंजीकृत न्यास, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया हो।

(15) "दीर्घकालिक निवेश" का अर्थ है चालू निवेश को छोड़कर निवेश।

(16) "उद्धृत निवेशों का बाजार मूल्य" का अर्थ है वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से ठीक पहले की 26 सप्ताह की अवधि के दौरान, उस मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर निवेशों के समापन मूल्य के साप्ताहिक उच्च और निम्न का औसत, जहां निवेश सबसे अधिक सक्रिय रूप से कारोबार करता है, जिस तारीख को अंतिम लेखा-परीक्षत तुलनपत्र उपलब्ध हो।

(17) "निवल आस्तियां" का अर्थ है कुल आस्तियां जिनमें से निम्नलिखित को घटाया गया है:

(i) नकद और बैंक शेष;
(ii) मुद्रा बाज़ार साधनों और मुद्रा बाज़ार म्यूचुअल फंड में निवेश;
(iii) करों का अग्रिम भुगतान; और
(iv) आस्थगित कर भुगतान।

(18) " निवल आस्ति मूल्य" का अर्थ है संबंधित म्यूचुअल फंड द्वारा उस विशेष योजना के संबंध में घोषित नवीनतम निवल आस्ति मूल्य।

(19) " निवल बही मूल्य" का अर्थ है:

(i) किराये पर खरीद की आस्ति के मामले में, देय और भावी किश्तों का कुल योग जिसमें से अपरिपक्व वित्त प्रभारों के शेष को घटाया गया है और इन निदेशों के पैराग्राफ 35 के अनुसार किए गए प्रावधानों को भी घटाया गया है ;

(ii) पट्टे पर आस्ति के मामले में, देय के रूप में दर्शाई गई देय पट्टे किराये के पूंजीगत हिस्से का और पट्टे आस्ति का मूल्यह्रासित बही मूल्य का कुल योग, जिसे पट्टे समायोजन खाते की शेष राशि के अनुसार समायोजित किया गया है ।

(20) "बाह्य देयताएं" का अर्थ है तुलन पत्र की देयता पक्ष पर प्रदर्शित कुल देनदारियां, जिनमें से 'चुकता पूंजी' और 'रिज़र्व और अधिशेष', और जारी होने की तारीख से 10 वर्ष की अवधि से अधिक नहीं में अनिवार्य रूप से इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय साधनों को छोड़ दिया गया है, लेकिन इसमें ऋण की विशेषताओं वाले सभी प्रकार के ऋण और दायित्व शामिल हैं, चाहे वे संकर साधनों के जारी होने से बनाए गए हों या अन्यथा, और जारी की गई गारंटियों का मूल्य, चाहे वे तुलन पत्रपर प्रदर्शित हों या नहीं।

(21) "स्वाधिकृत निधियां " का अर्थ है चुकता इक्विटी पूंजी, वे अधिमानी शेयर जो अनिवार्य रूप से इक्विटी में परिवर्तनीय हैं, मुक्त रिज़र्व, शेयर प्रीमियम खाते में शेष और पूंजी रिज़र्व जो आस्ति की बिक्री से उत्पन्न अधिशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें से आस्ति के पुनर्मूल्यन द्वारा बनाए गए रिज़र्व, संचित हानि शेष, अमूर्त आस्तियों का बुक मूल्य और आस्थगित राजस्व व्यय, यदि कोई हो, को घटाया गया है।

नोट: सीआईसी को स्वाधिकृत निधियों से उपयोग का अधिकार(राइट-ऑफ-यूज) आस्ति (इंड एएस 116-पट्टे के तहत बनाई गई) को घटाने की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते पट्टे पर ली जा रही अंतर्निहित आस्ति एक मूर्त आस्ति हो।

(22) इन निदेशों के उद्देश्य के लिए "सार्वजनिक जमा" का वही अर्थ होगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – सार्वजनिक जमाओं की स्वीकृति) निदेश, 2025 में परिभाषित किया गया है।

(23) "सार्वजनिक निधियां" में वे निधियां शामिल हैं जो या तो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक जमाओं, अंतर-कॉर्पोरेट जमाओं, बैंक वित्त और बाहरी स्रोतों से प्राप्त सभी निधियों, जैसे कि वाणिज्यिक पत्र, डिबेंचर आदि के माध्यम से जुटाई जाती हैं, लेकिन इसमें जारी होने की तारीख से 10 वर्ष की अवधि से अधिक नहीं में अनिवार्य रूप से इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय साधनों के माध्यम से जुटाई गई निधियां शामिल नहीं हैं।

(24) "महत्वपूर्ण हित" का अर्थ है किसी व्यक्ति या उसके पति/पत्नी या नाबालिग बच्चे द्वारा किसी कंपनी के शेयरों में लाभकारी हित का धारण करना, चाहे अकेले या एक साथ, जिस पर चुकाई गई राशि कंपनी की चुकता पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक हो; या एक साझेदारी फर्म के सभी साझेदारों द्वारा अभिदत्त पूंजी।

(25) "अधिनियम" का अर्थ है भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का अधिनियम 2) ।

(26) "कुल आस्तियां" का अर्थ है तुलन पत्र की आस्ति पक्ष पर प्रदर्शित सभी आस्तियों का कुल योग।

12. इन निदेशों में प्रयुक्त ऐसे शब्द या पद जिन्हें यहाँ परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अधिनियम या रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मास्टर निदेश में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें क्रमशः अधिनियम या निदेशों के तहत प्रदान किया गया है। इन निदेशों, अधिनियम या रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किसी भी निदेश में प्रयुक्त

और परिभाषित नहीं किए गए किसी भी शब्द या पद का वही अर्थ होगा जो उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के तहत प्रदान किया गया है।

अध्याय-II – निदेशक मंडल की भूमिका और पंजीकरण आवश्यकताएं

क. निदेशक मंडल की भूमिका और आवधिक समीक्षा

13. एक सीआईसी को सुदृढ़प्रक्रियाओं और प्रणालियों को सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों को लागू करना चाहिए और आवधिक समीक्षा तंत्र स्थापित करना चाहिए। ऐसी नीतियों की एक उदाहरणात्मक सूची, जिन्हें बोर्ड या उस समिति/उन समितियों द्वारा अनुमोदित किया जाना है जिन्हें शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, नीचे दी गई है। । इन नीतियों में संबोधित किए जाने वाले विशिष्ट पहलुओं का विवरण इन निदेशों के संबंधित पैराग्राफ में दिया गया है।

(1) आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी)

(2) निवेश नीति।

(3) संसाधन योजना के लिए नीति, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ योजना समयावधि और अपरिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) के निजी स्थानन की आवधिकता शामिल होगी।

ख. पंजीकरण

14. एक सीआईसी को, पूर्व में बैंक द्वारा जारी किसी भी सलाह के विपरीत होने के बावजूद, पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने के लिए प्रवाह (PRAVAAH) पोर्टल के माध्यम से रिज़र्व बैंक को आवेदन करना होगा।

15. एक सीआईसी को सीआईसी बनने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर प्रवाह (PRAVAAH) पोर्टल के माध्यम से रिज़र्व बैंक को पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन करना होगा।

16. सीआईसी (क) जिसकी आस्ति का आकार 100 करोड़ रुपये से कम है, चाहे वह सार्वजनिक निधियों उपयोग कर रहा हो या नहीं, और (ख) जिसकी आस्ति का आकार 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक है और जो सार्वजनिक निधियों का उपयोग नहीं कर रहा है , उसे आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के तहत रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, और इसे 'अपंजीकृत सीआईसी' कहा जाएगा। हालांकि, सीआईसी को अपनी समूह इकाइयों की ओर से गारंटी जारी करने या अन्य आकस्मिक देनदारियों को लेने की आवश्यकता हो सकती है। ऐसा करने से पहले, एक सीआईसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह उन दायित्वों के उत्पन्न होने पर उन्हें पूरा कर सकता है। विशेष रूप से, अपंजीकृत सीआईसी को इस स्थिति में होना चाहिए कि यदि दायित्व आ जाता है, तो वह सार्वजनिक निधियों का सहारा लिए बिना उसे पूरा कर सके, अन्यथा उन्हें सार्वजनिक निधियों तक पहुंच प्राप्त करने से पहले पंजीकरण के लिए रिज़र्व बैंक से संपर्क करना होगा।

(17) यदि 100 करोड़ रुपये से अधिक की आस्ति आकार वाला एक अपंजीकृत सीआईसी, रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना सार्वजनिक निधियों तक पहुंच बनाता है, तो यह इन निदेशों में निहित विनियमों का उल्लंघन करेगा।

नोट:

(1) कोई समूह संरचना को युक्तिसंगत बनाने के लिए एक सीआईसी स्थापित करना चाह सकता है। हालांकि, उस समय कंपनी इन निदेशों के पैराग्राफ 3 के तहत सीआईसी के लिए निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार पात्र नहीं होगी, क्योंकि उसकी निवल आस्तियों का 90% समूह कंपनियों में निवेश के रूप में नहीं होगा। ऐसी कंपनी को आरबीआई को पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करना होगा, जिसमें एक संतोषजनक समय-सीमा वाला व्यापार योजना प्रस्तुत गई हो, जिसके भीतर वह सीआईसी की स्थिति/दर्जा प्राप्त कर लेगी।

(2) ऐसी होल्डिंग कंपनी जो पैराग्राफ 3 में निर्धारित सीआईसी के मानदंडों को पूरा नहीं करती है, उसे एक एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण कराना होगा। हालांकि, यदि ऐसी कंपनी सीआईसी के रूप में पंजीकरण कराना चाहती है या सीआईसी के रूप में छूट प्राप्त करना चाहती है, तो उसे अपनी व्यवसाय को सीआईसी के रूप में पुनर्गठित करने के लिए एक विशिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त करने योग्य कार्य योजना के साथ आरबीआई को आवेदन करना होगा। यदि वह ऐसा करने में असमर्थ है, तो उसे एनबीएफसी आवश्यकताओं और विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन करना होगा।

(3) सीआईसी को भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए रूपरेखा) निदेशों के पैराग्राफ 38 के तहत निर्दिष्ट एनबीएफसी के लिए मुख्य व्यवसाय मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है।

(4) वर्तमान में रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत वे सीआईसी जो पैराग्राफ 16 के तहत परिभाषित 'अपंजीकृत सीआईसी' के मानदंडों को पूरा करते हैं, वे स्वैच्छिक पंजीकरण-निरसन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए लेखा-परीक्षित तुलन पत्र और लेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र दोनों जमा करना आवश्यक है।

ग. एफएटीएफ गैर-अनुपालन क्षेत्राधिकार से निवेश

18. सीआईसी को भारतीय रिज़र्व बैंक(गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए रूपरेखा) निदेश, 2025 के पैराग्राफ 47 और 48 का अनुपालन करना होगा।

घ. समूह संरचना

19. समूह के भीतर एक सीआईसी के स्तरों की संख्या (मूल सीआईसी सहित) दो तक सीमित होगी, चाहे एक सीआईसी द्वारा अन्य सीआईसी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धारण/नियंत्रण की सीमा कुछ भी हो। यदि एक सीआईसी किसी अन्य सीआईसी में प्रत्यक्ष/परोक्ष इक्विटी निवेश करता है, तो इसे निवेशक सीआईसी के लिए एक स्तर(लेयर) माना जाएगा।

उदाहरण: यदि किसी समूह में एक मूल सीआईसी है जिसका नाम एचसीओ है, जो तीन अन्य सीआईसी अर्थात ए, बी और सी में 100 प्रतिशत इक्विटी पूंजी धारण करता है, तो समूह में स्तर निम्नलिखित होंगे:

(i) एचसीओ को सीआईसी का पहला स्तर(लेयर) माना जाएगा।

(ii) ए, बी और सी को सीआईसी का दूसरा स्तर (लेयर) माना जाएगा।

(iii) समूह संरचना में दूसरा स्तर(लेयर) के सीआईसी द्वारा समूह में किसी अन्य सीआईसी में, प्रत्यक्ष रूप से या अन्य इकाइयों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से, कोई भी प्रतिधारिता (क्रॉस होल्डिंग) समूह संरचना में सीआईसी का तीसरा स्तर(लेयर) सृजन के रूप में माना जाएगा, जो वर्तमान अनुदेशों का उल्लंघन है। हालांकि, दूसरे स्तर(लेयर) के सीआईसी द्वारा गैर-सीआईसी समूह कंपनियों में निवेश करना वर्तमान सीआईसी विनियमों का उल्लंघन नहीं है। इसके अलावा, क्षैतिज स्तर(लेयर) में सीआईसी की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

अध्याय-III – पूंजी आवश्यकताएं

क. निवल मालियत

20. किसी सीआईसी की समायोजित निवल मालियत (एएनडब्ल्यू) किसी भी समय वित्तीय वर्ष के अंत में अंतिम लेखा-परीक्षित तुलन पत्र की तारीख को तुलन पत्र पर उसकी कुल जोखिम-भारित आस्तियों और तुलनपत्र से इतर मदों के जोखिम-समायोजित मूल्य के 30 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।

नोट:

(1) उन मामलों में जहां आस्ति आकार को समेकित किया जाता है, समूह के भीतर सभी सीआईसी को सीआईसी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा और समायोजित निवल मालियत (एएनडब्ल्यू) व्यक्तिगत रूप से लागू होगी।

ख. तुलन पत्र पर आस्तियाँ

21. इन निदेशों में, तुलन पत्र की आस्तियों को प्रतिशत भार के रूप में व्यक्त किए गए ऋण जोखिम की विभिन्न डिग्रियाँ निर्धारित की गई हैं। । अतः, आस्तियों के जोखिम-समायोजित मूल्य तक पहुंचने के लिए प्रत्येक आस्ति/मद के मूल्य को संबंधित जोखिम भार से गुणा करने की आवश्यकता है। पूंजी अनुपात की गणना के लिए कुल योग को ध्यान में रखा जाएगा। जोखिम-भारित आस्तियों की गणना नीचे विस्तृत निधिक मदों के भारित योग के रूप में की जाएगी:

भारित जोखिम आस्तियां - तुलन पत्र पर /में शामिल मदें	**प्रतिशत भार**
(i) बैंकों के पास नकद और बैंक शेष, जिसमें सावधि जमा और प्रमाणपत्र जमा शामिल हैं	0
(ii) निवेश	
(क) अनुमोदित प्रतिभूतियां [नीचे (ग) को छोड़कर]	0
(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बॉंड	20
(ग) सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के सावधि जमा/प्रमाणपत्र जमा/बॉंड	100
(घ) सभी कंपनियों के शेयर और डिबेंचर/बॉंड/वाणिज्यिक पत्र और सभी म्युचुअल फंड की इकाइयां	100
(iii) चालू आस्तियां	
(क) (किराये पर लिया गया माल) (निवल बही मूल्य)	100
(ख) अंतर-कॉर्पोरेट ऋण/जमा	100
(ग) जमाओं की ज़मानत पर पूरी तरह से रक्षित ऋण और अग्रिम	0
(घ) स्टाफ को ऋण	0
(ङ) अन्य सुरक्षित ऋण और अग्रिम जिन्हें बेहतर समझा जाए[नीचे (च) को छोड़कर]	100
(च) खरीदे गए/बट्टे पर लिए गए बिल	100

(छ) अन्य (निर्दिष्ट किए जाने वाले)	100
(iv) अचल आस्तियां (मूल्यह्रास के बाद)	
(क) पट्टे पर दी गई आस्तियां (निवल बही मूल्य)	100
(ख) परिसर	100
(ग) फर्नीचर और फिक्स्चर	100
(v) अन्य आस्तियां	
(क) स्रोत पर आयकर कटौती (प्रावधान के बाद)	0
(ख) भुगतान किया गया अग्रिम कर (प्रावधान के बाद)	0
(ग) सरकारी प्रतिभूतियों पर बकाया ब्याज	0
(घ) अन्य (विनिर्दिष्ट किए जाने वाले) जिसमें आरओयू आस्तियां शामिल हैं	100
(vi) घरेलू राष्ट्रिक	
(क) केंद्र सरकार पर निधि-आधारित दावे	0
(ख) राज्य सरकार प्रतिभूतियों में प्रत्यक्ष ऋण/क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट एक्सपोजर और निवेश	0
(ग) केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत दावे	0
(घ) राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत दावे, जो चूक में नहीं रहे हैं / या 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए चूक में नहीं हैं	20
(ङ) राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत दावे, जो 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए चूक में रहे हैं	100

नोट:

(1) निवलीकरण केवल उन आस्तियों के संबंध में किया जाएगा जहाँ मूल्यह्रास या अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किए गए हैं।

(2) निवल स्वाधिकृत निधि तक पहुंचने के लिए स्वाधिकृत निधि से घटाई गई आस्तियों का भार 'शून्य' होगा।

(3) ऋण भार आवंटन के उद्देश्य से उधारकर्ता के निधिकृत एक्सपोजर के कुल योग की गणना करते समय, ऐसी सीआईसी को उधारकर्ता के कुल बकाया एक्सपोजर में से उन अग्रिमों के बदले संपार्श्विक के रूप में धारित नकद मार्जिन/ज़मानती राशि/प्रतिभूति जमा राशि (जिनके बदले समशोधन का अधिकार उपलब्ध है) को घटाना होगा ।

(4) प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन (सीबीएलओ) के कारण सीसीआईएल के प्रति सीआईसी के एक्सपोजर से उत्पन्न प्रतिपक्षकारों के क्रेडिट जोखिम पर शून्य जोखिम भार लगेगा, क्योंकि यह माना जाता है कि सीसीपी का अपने प्रतिपक्षकारों पर एक्सपोजर दैनिक आधार पर पूरी तरह से संपार्श्विकित होता है, जिससे सीसीपी के क्रेडिट जोखिम

एक्सपोजर के लिए सुरक्षा प्रदान की जाती है। सीसीआईएल के पास सीआईसी द्वारा रखी गई जमा राशियां/संपार्श्विक 20 प्रतिशत के जोखिम भार को आकर्षित करेंगे।

ग तुलन-पत्र से इतर मदें

22. इन निदेशों में, तुलन-पत्र से इतर मदों से जुड़े क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर की डिग्री को क्रेडिट रूपांतरण कारक के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है। अतः, तुलन-पत्र से इतर मद के जोखिम-समायोजित मूल्य तक पहुंचने के लिए प्रत्येक मद के अंकित मूल्य को पहले संबंधित रूपांतरण कारक से गुणा करने की आवश्यकता है। न्यूनतम पूंजी अनुपात की गणना के लिए कुल योग को ध्यान में रखा जाएगा। इसके बाद इसे 100 के जोखिम भार से फिर से गुणा करना होगा। तुलन-पत्र से इतर मदों के जोखिम-समायोजित मूल्य की गणना नीचे विस्तृत गैर-निधिकृत मदों के क्रेडिट रूपांतरण कारकों के अनुसार की जाएगी:

मद की प्रकृति	क्रेडिट रूपांतरण कारक (प्रतिशत में)
(i) वित्तीय और अन्य गारंटी	100
(ii) शेयर/डिबेंचर हामीदारी दायित्व	50
(iii) आंशिक रूप से चुकता शेयर/डिबेंचर	100
(iv) बट्टे पर खरीदे/पुनर्बट्टे पर लिए गए बिल	100
(v) निष्पादित किए जाने वाले पट्टा अनुबंध	100

घ. लीवरेज अनुपात

23. किसी सीआईसी की बाह्य देनदारियां किसी भी समय वित्तीय वर्ष के अंत में अंतिम लेखा-परीक्षित तुलनपत्र की तारीख को उसकी समायोजित निवल मूल्य (एएनडब्ल्यू) की 2.5 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ङ. आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी)

24. एक सीआईसी को अपने व्यवसाय में निहित जोखिमों के अनुरूप पूंजी की आवश्यकता (जैसा कि एएनडब्ल्यू और लीवरेज अनुपात में परिलक्षित होता है) का भलीभांति आंतरिक आकलन करना आवश्यक है। इस संबंध में सीआईसी 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025' के पैराग्राफ 54 द्वारा मार्गदर्शित होंगे।

अध्याय-IV – विवेकपूर्ण विनियमन

25. सीआईसी पर लागू विवेकपूर्ण विनियमन निम्नलिखित हैं:

क. आय निर्धारण

26. सीआईसी को 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) निदेश, 2025' के पैराग्राफ 37 और 38 का अनुपालन करना होगा।

ख. निवेश से आय

27. सीआईसी को 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – निवेश संविभाग का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन) निदेश, 2025' के पैरा 22 से 24 का अनुपालन करना होगा।

ग. लेखांकन मानक

28. वह सीआईसी, जिन्हें कंपनियां (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के तहत भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) लागू करने की आवश्यकता है, को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित इंड एएस के अनुसार अपने वित्तीय विवरण तैयार करेगाऔर 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – वित्तीय विवरण: प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2025' के माध्यम से निर्धारित विनियामक मार्गदर्शन का अनुपालन करेगा । अन्य सीआईसी को अधिसूचित लेखांकन मानकों (एएस) की आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा, जब तक कि वे इन निदेशों के किसी भी प्रावधान के असंगत न हों।

29. सीआईसी जिन्हें इंड एएस मानकों का अनुपालन करना आवश्यक है, उन्हें 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) निदेश, 2025' के पैराग्राफ 34 से 36 का भी अनुपालन करना होगा।

30. सीआईसी जिन्हें इंड एएस मानकों का अनुपालन करना आवश्यक है, उन्हें स्वाधिकृत निधि और समायोजित निवल मालियत की गणना के लिए 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025' के पैराग्राफ 15 और 16 में निर्दिष्ट सिद्धांतों का पालन करना होगा।

घ. निवेशों का लेखांकन

31. सीआईसी को 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन) निदेश, 2025' के पैराग्राफ 7 से 10 और 14 से 21 का पालन करना होगा।

ङ. मांग/कॉल ऋणों पर नीति की आवश्यकता

32. मांग/कॉल ऋण प्रदान करने वाली या प्रदान करने का इरादा रखने वाली किसी सीआईसी का निदेशक मंडल कंपनी के लिए एक नीति तैयार करेगा और उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा।

33. ऐसी नीति में, अन्य बातों के साथ-साथ, 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025' के पैराग्राफ 107 में विनिर्दिष्ट शर्तें शामिल होनी चाहिए।

च. आस्ति वर्गीकरण

34. सीआईसी को 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) निदेश, 2025' के पैराग्राफ 11(1), 11(3), 21, 22, 50 से 53 और 56 के तहत निर्धारित आस्ति वर्गीकरण मानदंडों का अनुपालन करना होगा।

छ. प्रावधान आवश्यकताएं

35. सीआईसी को अवमानक आस्तियों, संदिग्ध आस्तियों और हानि आस्तियों के विरुद्ध प्रावधान करने के लिए 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) निदेश, 2025' के पैराग्राफ 28, 29, 32 से 36, 49, 55 और 57 से 60 में विनिर्दिष्ट निदेशों का पालन करना होगा।

ज. मानक आस्तियों के लिए प्रावधान

36. मध्य स्तर(लेयर) में स्थित सीआईसी को 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) निदेश, 2025' के पैराग्राफ 28 और 55 का पालन करना होगा।

झ. चलनिधि जोखिम प्रबंधन ढांचे पर दिशानिर्देश

37. सीआईसी को 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – आस्ति देयता प्रबंधन) निदेश, 2025' में विस्तृत चलनिधि जोखिम प्रबंधन दिशा-निर्देशों के समूह का अनुपालन करना होगा, जहां तक लागू हो, अध्याय III के प्रावधानों को छोड़कर । प्रत्येक सीआईसी के बोर्ड की यह जिम्मेदारी होगी कि यह सुनिश्चित किया जाए कि दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार एक सीआईसी द्वारा स्थापित किए जाने वाले आंतरिक नियंत्रण पर्यवेक्षी समीक्षा के अधीन होंगे।

ञ. लेखा वर्ष

38. एक सीआईसी को 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – वित्तीय विवरण: प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2025' के पैराग्राफ 9 का अनुपालन करना होगा।

ट. तुलन-पत्र के साथ संलग्न अनुसूची

39. सीआईसी को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित अपनी तुलन-पत्र के साथ 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – वित्तीय विवरण: प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2025' के पैराग्राफ 20 में वर्णित अनुसूची के विवरण को संलग्न करना होगा।

ठ. लाभांश की घोषणा

40. सीआईसी को लाभांश घोषित करने के लिए 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – लाभांश की घोषणा पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025' का अनुपालन करना होगा।

ड. सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन

41. सीआईसी को 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – निवेश संविभाग का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन) निदेश, 2025' के पैराग्राफ 11 का पालन करना होगा।

ढ. सीआईसी के स्वयं के शेयरों के विरुद्ध ऋण प्रतिबंधित

42. सीआईसी को 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025' के पैराग्राफ 105 के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा।

ण. पता , निदेशकों, लेखा परीक्षकों आदि में परिवर्तन के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करना

43. सीआईसी को पता, निदेशकों, लेखा परीक्षकों आदि में परिवर्तन की सूचना 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – विविध) निदेश, 2025' के पैराग्राफ 6 और 7 में निर्धारित तरीके से संप्रेषित करनी होगी।

त. सीआईसी साझेदारी फर्मों में साझेदार नहीं होगा

44. सीआईसी को 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – विविध) निदेश, 2025' के पैराग्राफ 16 से 19 में निर्धारित अनुदेशों का अनुपालन करना होगा।

थ. शेयरों की प्रतिभूति ज़मानत पर ऋण

45. सूचीबद्ध शेयरों की संपार्श्विकता की ज़मानत पर ऋण प्रदान करने वाली सीआईसी को 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025' के पैराग्राफ 107 का अनुपालन करना होगा।

द. वैकल्पिक निवेश फंड में निवेश

46. सीआईसी द्वारा एआईएफ में किए गए निवेश का मार्गदर्शन 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – वित्तीय सेवाओं का संचालन) निदेश, 2025' के पैराग्राफ 7 से 14 द्वारा किया जाएगा।

अध्याय- V – शेयरधारिता और कॉर्पोरेट अभिशासन

क. नियंत्रण का अधिग्रहण/हस्तांतरण

47. सीआईसी को 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – शेयरधारिता या नियंत्रण का अधिग्रहण) निदेश, 2025' के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा, सिवाय पैराग्राफ 6(3) और 6(4) के।

ख. निदेशकों और/या प्रबंधन में परिवर्तन

48. सीआईसी को 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – अभिशासन) निदेश, 2025' के पैराग्राफ 10 और 11 का अनुपालन करना होगा।

अध्याय-VI – कॉर्पोरेट अभिशासन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ

क. कॉर्पोरेट अभिशासन अपेक्षाएँ

49. कॉर्पोरेट अभिशासन अपेक्षाएँ कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार होंगी।

50. सीआईसी को 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – वित्तीय विवरण: प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2025' के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा। इन दिशा-निर्देशों के अनुबंध-I में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार सीआईसी पर अतिरिक्त प्रकटीकरण अपेक्षाएँ लागू होंगी।

51. सीआईसी को मौजूदा विवेकपूर्ण दिशा-निर्देशों, लागू लेखांकन मानकों, कानूनों और विनियमों के अनुसार अपने वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण करने की आवश्यकता है।

52. अनुबंध-I में वर्णित प्रकटीकरण अन्य कानूनों, विनियमों, या लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के तहत निर्दिष्ट प्रकटीकरण अपेक्षाओं के अतिरिक्त हैं, न कि उनके स्थान पर।

53. यह ध्यान दिया जाए कि सीआईसी की निचले स्तर(लेयर) पर लागू प्रकटीकरण अपेक्षाएँ सीआईसी की उच्च स्तरों(लेयर्स) पर भी लागू होंगी। दिशा-निर्देश बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं को इंगित करते हैं और एक सीआईसी को अभिशासन और प्रकटीकरण के उच्च मानक प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, विशेष रूप से यदि ऐसे प्रकटीकरण वित्तीय स्थिति और प्रदर्शन को समझने में महत्वपूर्ण रूप से सहायक होते हैं।

54. सीआईसी अनुबंध-I से उन लाइन मदों/प्रकटीकरण को छोड़ सकता है जो लागू नहीं हैं/ अनुमत नहीं हैं या जिनका वर्तमान वर्ष और पिछले वर्ष दोनों में कोई एक्सपोजर/कोई लेनदेन नहीं है।

55. यह ध्यान दिया जाए कि प्रकटीकरण टेम्पलेट में किसी गतिविधि, लेनदेन या आइटम का मात्र उल्लेख यह नहीं दर्शाता कि वह अनुमत है, और किसी गतिविधि या लेनदेन की अनुमेयता या अन्यथा का निर्धारण करते समय सीआईसी को विद्यमान सांविधिक और विनियामक आवश्यकताओं का संदर्भ लेना होगा।

56. इसके अलावा, सीआईसी को कथात्मक और वर्णनात्मक जानकारी के लिए तुलनात्मक जानकारी शामिल करनी चाहिए, यदि यह वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों को समझने के लिए प्रासंगिक है।

57. सीआईसी को निदेशकों की 'उपयुक्त और उचित' (फिट एंड प्रॉपर) स्थिति का पता लगाने के लिए 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – अभिशासन) निदेश, 2025' के पैराग्राफ 12 में निर्धारित नीति लागू करनी होगी।

58. सीआईसी को :

(1) यह सुनिश्चित करना होगा कि नियुक्ति के समय और निरंतर आधार पर निदेशकों के 'उपयुक्त और उचित' (फिट एंड प्रॉपर) मानदंडों का पता लगाने के लिए निदेशक मंडल के अनुमोदन से एक नीति लागू की गई है । उपयुक्त और उचित मानदंडों पर नीति नीचे दिए गए पैराग्राफ 59 और 60 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगी;

(2) 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – अभिशासन) निदेश, 2025' के पैरा 14 में निर्दिष्ट तिमाही विवरण रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करना होगा।

ख. सीआईसी के निदेशकों के लिए 'उपयुक्त और उचित' (फिट एंड प्रॉपर) मानदंड – दिशा-निर्देश

59. रिज़र्व बैंक ने जून 2004 में बैंकों/वित्तीय संस्थानों के निदेशकों के परामर्श समूह की 'रिपोर्ट' के आधार पर बैंकों के बोर्ड पर नियुक्ति से पहले व्यक्तियों पर समुचित सावधानी बरतने के लिए बैंकों को निदेश जारी किए थे। निदेशकों द्वारा पूरे किए जाने वाले विशिष्ट 'उपयुक्त और उचित ' (फिट एंड प्रॉपर) मानदंड की भी सलाह दी गई थी।

60. किसी भी वित्तीय संस्थान के लिए योग्यता, तकनीकी विशेषज्ञता, ट्रैक रिकॉर्ड(पिछला कार्यनिष्पादन अभिलेख), अखंडता आदि के माध्यम से पद के लिए उपयुक्तता का पता लगाने के लिए निदेशकों की समुचित सावधानी (ड्यू डिलिजेंस) के महत्व पर अलग से जोर देने की आवश्यकता नहीं है। प्रस्तावित है कि सीआईसी के मामले में भी वही दिशा-निर्देश यथावत अपनाए जाएं। जबकि रिज़र्व बैंक सीआईसी को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने से पहले निदेशकों की समुचित सावधानी (ड्यू डिलिजेंस) करता है, यह आवश्यक है कि एक सीआईसी निरंतर आधार पर एक आंतरिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया लागू करे। इसके अलावा, समुचित सावधानी (ड्यू डिलिजेंस) की प्रक्रिया में सुव्यवस्था और एकरूपता लाने के लिए, निदेशकों की नियुक्ति करते समय, सीआईसी यह सुनिश्चित करे कि 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – अभिशासन) निदेश, 2025' के पैराग्राफ 13 में उल्लिखित प्रक्रियाओं का पालन किया गया है और बोर्ड पर नियुक्त किए जाने से पहले व्यक्तियों द्वारा न्यूनतम मानदंड पूरे किए गए हें।

61. सीआईसी का बोर्ड 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – अभिशासन) निदेश, 2025' के पैरा 18 में निर्धारित अनुसार नामांकन और पारिश्रमिक समिति (सरकारी स्वामित्व वाली सीआईसी के लिए नामांकन समिति) का गठन करेगा।

ग. बोर्ड का अनुभव

62. सीआईसी 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – अभिशासन) निदेश, 2025' के पैराग्राफ 8 द्वारा मार्गदर्शित होंगे।

घ. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

63. सीआईसी को 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – अभिशासन) निदेश, 2025' के पैराग्राफ 26 का अनुपालन करना होगा।

ङ. स्वतंत्र निदेशक

64. सीआईसी को 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – अभिशासन) निदेश, 2025' के पैराग्राफ 27 और 28 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

च. सीआईसी में प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और वरिष्ठ प्रबंधन के पारिश्रमिक पर दिशा-निर्देश

65. सीआईसी 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – अभिशासन) निदेश, 2025' के पैराग्राफ 29 से 37 द्वारा मार्गदर्शित होंगे।

66. यह दिशा-निर्देश सभी सीआईसी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों की पारिश्रमिक नीति निर्धारित करने के लिए होंगे।

अध्याय- VII – जोखिम प्रबंधन

क. मुख्य जोखिम अधिकारी की नियुक्ति

67. सीआईसी को 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - अभिशासन) निदेश, 2025' के पैराग्राफ 19 से 24 के अनुसार एक मुख्य जोखिम अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी।

ख. जोखिम प्रबंधन समिति

68. सीआईसी को 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - अभिशासन) निदेश, 2025' के पैराग्राफ 9 के अनुसार एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन करना होगा।

ग. समूह जोखिम प्रबंधन समिति का गठन

69. समूह में मूल सीआईसी अथवा यदि समूह में कोई निर्दिष्ट मूल सीआईसी नहीं है, तो सबसे बड़ी आस्ति आकार वाली सीआईसी, एक समूह जोखिम प्रबंधन समिति(जीआरएमसी) का गठन करेगी। जीआरएमसी उस सीआईसी के बोर्ड को रिपोर्ट करेगी जिसने इसका गठन किया है और इसकी बैठक कम से कम एक तिमाही में एक बार होनी चाहिए। जीआरएमसी की संरचना निम्नलिखित होगी:

(1) जीआरएमसी में कार्यकारी सदस्यों सहित न्यूनतम पांच सदस्य होने चाहिए।

(2) कम से कम दो सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए, जिनमें से एक जीआरएमसी का अध्यक्ष होगा।

(3) सदस्यों के पास जोखिम प्रबंधन प्रथाओं में पर्याप्त और समानुपातिक अनुभव होना चाहिए।

70. जीआरएमसी की निम्नलिखित जिम्मेदारियां होंगी:

(1) समूह, उसके व्यवसायों और सहायक कंपनियों को जिन भौतिक जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है, उनका विश्लेषण करना। इसे समूह की समग्र जोखिम लालसा के अनुसार एकत्रित स्तर पर और जोखिम के प्रकार द्वारा सभी जोखिम रणनीतियों पर चर्चा करनी होंगी और बोर्ड को सिफारिशें प्रस्तुत करनी होंगी ।

(2) संभावित समूह-आंतरिक हितों के टकराव की पहचान करना।

(3) यह आकलन करना कि क्या समूह के प्रभावी जोखिम पर्यवेक्षण के लिए सूचना के आदान-प्रदान की सुविधा हेतु प्रभावी प्रणालियां मौजूद हैं।

(4) यह आकलन करना कि क्या कॉर्पोरेट अभिशासन ढांचा पूरे समूह में जोखिम प्रबंधन को संबोधित करता है।

(5) समूह संरचना और आंतरिक नियंत्रणों की आवधिक स्वतंत्र औपचारिक समीक्षा करना।

(6) समूह के लीवरेज को स्पष्ट करना और उसकी निगरानी करना।

71. जीआरएमसी के विश्लेषण और सिफारिशों के आधार पर, एक सीआईसी को जहां आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। उपरोक्त पैराग्राफ 67 के अनुसार एक सीआईसी में नियुक्त मुख्य जोखिम अधिकारी ऐसी सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करेंगे।

72. सीआईसी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित एक तिमाही विवरण बोर्ड को प्रस्तुत करना होगा, जो लेनदारों और निवेशकों से प्राप्त किसी भी फंडिंग के उपयोग में विचलन को इंगित करेगा, जैसा कि ऐसे फंडिंग के लिए आवेदन, स्वीकृति पत्र या प्रस्ताव दस्तावेज़ में बताए गए उद्देश्यों/प्रयोजनों से विचलन है।

अध्याय-VIII - विदेशी निवेश

73. यह निदेश विदेशी मुद्रा विनिमय विभाग द्वारा विदेशी निवेश के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के अतिरिक्त हैं।

क. विदेश में वित्तीय और गैर-वित्तीय क्षेत्र में निवेश और विदेश में WOS/JV खोलना

74. सीआईसी 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – वित्तीय सेवाओं का संचालन) निदेश, 2025' के पैराग्राफ 20 से 22 द्वारा मार्गदर्शित होंगे ।

ख. सीआईसी द्वारा विदेश में शाखाएं/ प्रतिनिधि कार्यालय खोलना

75. सीआईसी को सामान्य तौर पर विदेश में शाखाएं खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सीआईसी को 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – शाखा प्राधिकरण) निदेश, 2025' के पैराग्राफ 13 से 15 का अनुपालन करना होगा।

अध्याय-IX – विविध अनुदेश

क. करेंसी आप्शंस/वायदा में सहभागिता

76. सीआईसी 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन) निदेश, 2025' के पैराग्राफ 28 और 33 द्वारा मार्गदर्शित होंगे।

ख. रेडी फॉरवर्ड(तैयार वायदा) अनुबंधों में शिथिलता/ संशोधन, सरकारी प्रतिभूति लेनदेन के निपटान और प्राथमिक मुद्दों में आवंटित प्रतिभूतियों की बिक्री से संबंधित परिचालन अनुदेश

77. सीआईसी को 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन) निदेश, 2025' के पैराग्राफ 12 में दिए गए दिशा-निर्देशों का पालनकरना होगा।

ग. ब्याज दर वायदा का परिचय

78. सीआईसी को 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन) निदेश, 2025' के पैराग्राफ 29 में दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

घ. सीआईसी द्वारा डिबेंचर आदि के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से धन जुटाना

79. सीआईसी को 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – विविध) निदेश, 2025' के पैराग्राफ 9 से 13 में निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

ङ. अपने ग्राहक को जानिए (केवायसी) निदेश, 2016 की प्रयोज्यता

80. सीआईसी को रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी और संशोधित 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – अपने ग्राहक को जानिए) निदेश, 2025' का पालन करना होगा।

च. सीआईसी द्वारा लेनदेन को निकटतम रुपये में पूर्णांकनकरना

81. सीआईसी को 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – विविध) निदेश, 2025' के पैराग्राफ 27 में निहित अनुदेशों का अनुपालन करना होगा।

छ. सीआईसी के लिए रेटिंग

82. सीआईसी को 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – विविध) निदेश, 2025' के पैराग्राफ 20 में निर्धारित अनुदेशों का अनुपालन करना होगा।

घ. बीमा में निवेश - बीमा व्यवसाय में प्रवेश पर दिशा-निर्देश

83. इच्छुक सीआईसी 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – वित्तीय सेवाएं प्रदान करना) निदेश, 2025' के पैराग्राफ 34 से 39 द्वारा मार्गदर्शित होंगे।

ङ. सीआईसी द्वारा वित्तीय सेवाओं के आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता

84. एक सीआईसी को अपनी मौजूदा आउटसोर्सिंग व्यवस्थाओं का स्व-मूल्यांकन करना चाहिए और इन्हें 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2025' में प्रदत्त 'वित्तीय सेवाओं के आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता' पर दिशा-निर्देशों के अनुरूप लाना चाहिए।

च. खाता समेकक पारिस्थितिकी तंत्र के सभी प्रतिभागियों के लिए तकनीकी विनिर्देश

85. सीआईसी को 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – विविध) निदेश, 2025' के पैराग्राफ 14 और 15 में निहित निर्देशों का अनुपालन करना होगा।

छ. साख सूचना कंपनियों को डेटा जमा करना - साख संस्थाओं द्वारा जमा किए जाने वाले डेटा का प्रारूप

86. सीआईसी को 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – साख सूचना रिपोर्टिंग) निदेश, 2025' में निहित अनुदेशों का अनुपालन करना होगा।

ज. साख सूचना कंपनियों को साख सूचना प्रस्तुत करने के लिए डेटा प्रारूप और अन्य नियामक उपाय

87. सीआईसी को 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – साख सूचना रिपोर्टिंग) निदेश, 2025' में निहित निर्देशों का अनुपालन करना होगा।

झ. इरादतनन चूककर्ता और बड़े चूककर्ता का निर्वाहन

88. सीआईसी उधारकर्ताओं को इरादतन चूककर्ता और बड़े चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत करने की प्रक्रियाओं और संबंधित पहलुओं पर 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – इरादतन चूककर्ता और बड़े चूककर्ता का निर्वाहन) निदेश, 2025' द्वारा मार्गदर्शित होंगे।

अध्याय-X – रिपोर्टिंग अपेक्षाएँ

89. पर्यवेक्षण विभाग द्वारा निर्धारित सीआईसी के संबंध में रिपोर्टिंग अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा।

90. **वित्तीय विवरण का समेकन (सीएफएस):** सीआईसी को पूरे समूह के वित्तों का स्पष्ट दृश्य प्रदान करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सीएफएस तैयार करना होगा। हालांकि, यह संभव है कि मौजूदा विनियमों के अनुसार समूह की परिभाषा को पूरा करने वाली इकाइयां सांविधिक प्रावधानों/लागू लेखांकन मानकों के अनुसार प्रदत्त छूट के कारण समेकन में शामिल न हों। ऐसी इकाइयों के लिए जिन्हें समेकन में शामिल नहीं किया गया है, अनुलग्नक-I के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित संकेतात्मक प्रारूप में प्रकटीकरण किया जाएगा। समेकन की प्रक्रिया में, एक सीआईसी के लेखा परीक्षक, 'मुख्य लेखा परीक्षक' के रूप में, भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी लेखा परीक्षा मानकों और मार्गदर्शन नोट्स के अधीन, अन्य संबंधित इकाइयों की वित्तीय जानकारी के संबंध में अन्य लेखा परीक्षकों के कार्य का उपयोग करेंगे।

नोट: लेखा परीक्षा पर मानक (एसए) 600 - "यूजिंग द वर्क आफ अनदर आडिटर" और समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट।

अध्याय-XI – निरसन और अन्य प्रावधान

क. निरसन और बचाव

91. इन निदेशों के जारी होने के साथ, कोर निवेश कंपनियों से संबंधित मौजूदा निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त हो जाते हैं, जैसा कि दिनांक 28 नवंबर, 2025 के परिपत्र विवि.आरआरसी.आरईसी.302/33-01-010/2025-26 के माध्यम से संप्रेषित किया गया है। इन निदेशों के जारी होने से पूर्व निरस्त निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त ही बने रहेंगे।

92. ऐसे निरसन के बावजूद, निरस्त निदेश, अनुदेश या दिशानिर्देश के तहत की गई या की गई मानी जाने वाली या आरंभ की गई कोई भी कार्रवाई उन्हीं के प्रावधानों द्वारा संचालित होती रहेगी। इन निरस्त सूचियों के तहत प्रदत्त सभी अनुमोदन या स्वीकृतियां इन निदेशों द्वारा संचालित मानी जाएंगी। इसके अतिरिक्त, इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों का निरसन किसी भी प्रकार से निम्नलिखित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा:

(1) इसके तहत अर्जित, संचित या उपगत कोई भी अधिकार, दायित्व या देयता;

(2) इसके तहत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में उपगत कोई भी जुर्माना, जब्ती या दंड;

(3) किसी भी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, जुर्माना, जब्ती या दंड के संबंध में कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपचार; और किसी भी ऐसे जांच, कानूनी कार्यवाही या उपचार को आरंभ, जारी या लागू किया जा सकता है और किसी भी ऐसे जुर्माने, जब्ती या दंड को इस प्रकार लगाया जा सकता है मानो उन निदेशों, अनुदेशों, दिशानिर्देशों को निरस्त नहीं किया गया हो।

ख. अन्य कानूनों का लागू होना वर्जित नहीं

93. इन निदेशों के प्रावधान वर्तमान में लागू किसी भी अन्य कानून, नियम, विनियम या निदेश के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके प्रतीकूल।

ग. व्याख्याएं

94. इन निदेशों के प्रावधानों को प्रभाव देने के उद्देश्य से या इन निदेशों के प्रावधानों के अनुप्रयोग या व्याख्या में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, रिज़र्व बैंक यदि आवश्यक समझे तो यहाँ शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

(जे पी शर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुबंध-I: अतिरिक्त प्रकटीकरण अपेक्षाएँ *(पैराग्राफ 50 के संदर्भ में)*

1. कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) को स्वयं और अपने समूह के बारे में मूलभूत जानकारी वाली एक कार्यात्मक वेबसाइट बनाए रखनी होगी। इसमें निम्नलिखित दस्तावेज़ भी शामिल होने चाहिए:

(i) सीआईसी की वार्षिक रिपोर्ट

(ii) कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट

(iii) प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उद्योग संरचना और विकास, समूह के लिए जोखिम और चिंताएं, तथा आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता संबंधी जानकारी शामिल हो;

(iv) अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, यदि कोई हो।

2. सीआईसी को उन समूह संस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित जानकारी का प्रकटीकरण करना होगा जिन्हें सीएफएस में समेकित नहीं किया गया है:

(i) संस्था का नाम, व्यवसाय का प्रकार, उसकी आस्तियों का आकार, ऋण-इक्विटी अनुपात, और पिछले दो वर्षों की लाभप्रदता।

(ii) प्रत्येक संस्था पर एक्सपोजर की प्रकृति और प्रकार: (ए) इक्विटी में निवेश, (बी) परिवर्तनीय साधनों में निवेश, (सी) बॉन्ड/ डिबेंचर/ अन्य साधनों में निवेश, (डी) ऋण और अग्रिम, (ई) कोई अन्य।

(iii) गैर-वित्तीय व्यवसाय की ओर सीआईसी का कुल एक्सपोजर (संस्था-वार)।

(iv) उन फर्मों/कंपनियों को ऋण और अग्रिम जिनमें निदेशकों का हित है।

(v) सीआईसी के उधारकर्ता द्वारा मूल कंपनी और समूह कंपनियों के शेयरों में किया गया निवेश।

3. वार्षिक वित्तीय विवरणों में किए जाने वाले प्रकटीकरण

3.1 एएनडब्ल्यू के घटक और अन्य संबंधित जानकारी *(राशि करोड़ ₹ में)*

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(i) जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में एएनडब्ल्यू		
(ii) उद्धृत निवेशों के बही-मूल्य में अप्राप्त मूल्यवृद्धि		
(iii) उद्धृत निवेशों के कुल बही-मूल्य में कमी		
(iv) लीवरेज अनुपात		

3.2 अन्य सीआईसी में निवेश

(ए) सीआईसी द्वारा दूसरे सीआईसी में किए गए किसी भी प्रत्यक्ष या परोक्ष पूंजी योगदान का कुल योग (सीआईसी के नाम सहित)।

(बी) उन सीआईसी की संख्या और नाम जिनमें प्रत्यक्ष या परोक्ष पूंजी योगदान स्वाधिकृत निधि का 10 प्रतिशत से अधिक है।

(सी) उन सीआईसी की संख्या और नाम जिनमें प्रत्यक्ष या परोक्ष पूंजी योगदान स्वाधिकृत निधि का 10 प्रतिशत से कम है।

3.3 तुलन पत्र से इतर का एक्सपोजर

विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
(i) तुलन पत्र से इतर का एक्सपोजर		
(ii) कुल तुलन पत्र से इतर के एक्सपोजर के प्रतिशत के रूप में वित्तीय गारंटी		
(iii) कुल तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर के प्रतिशत के रूप में गैर-वित्तीय गारंटी		
(iv) विदेशी सहायक कंपनियों को तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर		
(v) किसी सहायक कंपनी को जारी किया गया '' चुकौती आश्वासन पत्र		

3.4 व्यवसाय अनुपात

विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
इक्विटी पर प्रतिफल		
आस्तियों पर प्रतिफल		
प्रति कर्मचारी निवल लाभ		

3.5 एनपीए में संकेंद्रण

विवरण	**(राशि करोड़ ₹ में)**	**कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में एक्सपोजर**
शीर्ष पांच एनपीए खातों मेंकुल एक्सपोजर		

4. तुलन-पत्र में प्रावधानीकरण पर प्रकटीकरण

(i) जिन सीआईसी की कुल आस्तियां ₹ 500 करोड़ और उससे अधिक हैं, उन्हें तुलन-पत्र में निम्नलिखित विवरण प्रकट करने होंगे:

(क) भू-संपदा क्षेत्र में एक्सपोजर (प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों); और

(ख) आस्तियों और देयताओं की परिपक्वता संरचना

5. विविध प्रकटीकरण

(i) यदि लेखा परीक्षक ने किसी पिछले वित्तीय वर्ष या तिमाही के वित्तीय परिणामों के संबंध में अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट या सीमित समीक्षा रिपोर्ट में कोई संशोधित राय या अन्य संदेह व्यक्त किया है जिसका रिपोर्टिंग अवधि के लाभ या हानि पर प्रभाव पड़ता है, तो निम्नलिखित पर टिप्पणी सहित प्रकटीकरण किया जाएगा:

(क) संशोधित राय या अन्य संदेह को कैसे हल किया गया; या

(ख) यदि इसे हल नहीं किया गया है, तो इसके कारण और इस मामले में सीआईसी द्वारा उठाए जाने वाले कदम।